ख .्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

.08.23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 09 दिनांक 13.07.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण से विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी। वकील वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी जारी किये जाने की सहमति दी। अतः भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी किया जाता हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	मेहराराम पुत्र होथीराम हि. 2711/4626 मोबताराम पुत्र मूलाराम हि. 1915/4626 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	206	0.4626	बा.सो.	0.22	हरा
2	दलाराम हि. 1661/3838 माधाराम हि. 2177/3888 पि. सालूराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	206	0.7676	बा.सो.	0.37	केसरिया
3	दलाराम हि. 1681/10360 माधाराम हि. 2815/10360 पि. सालूराम, सालूराम पुत्र धर्माराम हि. 5864/10360 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन–सालूराम का हि. SBI गुड़ामालानी	188	1.0360	बा.सो.	0.50	गुलाबी

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी प्रकार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/23 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण

1. मेहराराम पुत्र होथीराम
2. मोबताराम पुत्र मूलाराम
   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दलाराम पुत्र सालूराम
2. माधाराम पुत्र सालूराम
3. सालूराम पुत्र धर्माराम
   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत :- 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :– 112/2021

निर्णय दिनांक :– 14/8/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण कुमावत् अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा ग्राम सिन्धासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव, माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	मेहराराम पुत्र होथीराम हि. 2711/4626 मोबताराम पुत्र मूलाराम हि. 1915/4626 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	206	0.4626	बा.सो.	0.22	हरा
2	दलाराम हि. 1661/3838 माधाराम हि. 2177/3888 पि. सालूराम कौम मेगवाल सा. देह खातेदार	206	0.7676	बा.सो.	0.37	केसरिया
3	दलाराम हि. 1681/10360 माधाराम हि. 2815/10360 पि. सालूराम, सालूराम पुत्र धर्माराम हि. 5864/10360 कौम मेगवाल सा. देह खातेदार रहन–सालूराम का हि. SBI गुड़ामालानी	188	1.0360	बा.सो.	0.50	गुलाबी

भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...14/8/23.... को जारी की गई।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुड़ामालानी

क्रमांक: वाचक/2023/922

दिनांक : 16/8/23

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर

(S.D.O) गुड़ामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 112 / 2021

वादीगण

1. मेहराराम पुत्र होथीराम
2. मोबताराम पुत्र मूलाराम

   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दलाराम पुत्र सालूराम
2. माधाराम पुत्र सालूराम
3. सालूराम पुत्र धर्माराम

   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. **श्री नारायण कुमावत् अधिवक्ता वादीगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 12/6/23

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, 92क का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम सिंधावा चौहान में खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर की अवस्थिति है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा हिस्से खुले हुए हैं। उक्त आराजी के खसरा संख्या 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर की भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 33/212 हिस्सा, खसरा 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर की भूमि में वादी संख्या 1 का 6/53 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है, इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहा है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा नहीं होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते रहते हैं, अलावा इसके वादीगण अपने हिस्से की भूमि में

सहायक कलक्टर, गुडामालानी

इच्छा अनुसार लागत लगाकर उपजाऊ बनाने तथा भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में भी अड़चने आती हैं। प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी का लाभ उठाकर अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते हैं। वादीगण द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि का बेचान कर किसी अजनबी को उक्त भू–भाग पर काबिज करवाने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का संयुक्त सामलाती में काश्त करना मुश्किल हो गया है, इसलिये वादीगण को अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि के हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा–काश्त अनुसार वाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करवाना आवश्यक हो गया है अतः बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।

वाद वादीगण दर्ज कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी वादीगण के वाद पत्र का जबाव पेश नहीं करने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में PW-1 मोबताराम, PW-2 मेहराराम को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाए गये, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 ग्राम सिंधासवा चौहान खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 ग्राम सिंधासवा चौहान खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर, प्रदर्श– 3 व 4 खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी खसरा नम्बर 206 व 288 प्रदर्शित करवाए गये।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक श्री नारायण कुमावत् की बहस सुनी। मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्यएवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा हिस्से खुले हुए हैं परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। गवाहान ने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी उपरोक्त खसरान की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है।

उपखंड कलक्टर, गुड़ामालानी

ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के राजस्व ग्राम सिंधासवा चौहान के खेत खसरा नम्बर 206 रकबा 1.2302 हैक्टेयर की भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 33/212 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 188 रकबा 1.0360 हैक्टेयर की भूमि में वादी संख्या 1 का 6/53 हिस्सा अलग कर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (By mets & bounds) बंटवाडा किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौके का विभाजन तहसीलदार गुड़ामालानी पेश करें। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनः पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 12/6/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी